

विधान परिषद के द्वितीय सत्र -2022 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-2 का उत्तर।

प्रश्न

2(क) क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि उ०प्र० में राज्य मार्ग जिला मार्ग व अन्य ऐसे मार्ग जो रेलवे क्रॉसिंग से जुड़े हैं और जहाँ टी०वी०यू० एक लाख से अधिक हैं वहाँ ओवर ब्रिज या अंडर पास बनाने की योजना है ?

(ख) यदि हाँ तो जनपद इटावा व औरैया उक्त योजना से बनाये जाने वाले ओवर ब्रिज व अंडर पास की सूची सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) उक्त योजना से बनाये जाने वाले ओवर ब्रिज व अंडर पास की कोई समय सीमा निर्धारित कर सदन को अवगत करायेंगे ?

उत्तर

लोक निर्माण विभाग की नीति के अनुसार एक लाख से अधिक टी०वी०यू० होने पर सम्पार लागत में सहभागिता हेतु रेलवे विभाग की सहमति के उपरान्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रदेश के वित्तीय संसाधनों के अनुसार की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 राज्य योजनान्तर्गत रेल उपरिगामी सेतुओं के नये कार्यों की कार्ययोजना अभी अंतिमीकृत नहीं हुई है।

प्रत्येक रेल उपरिगामी सेतु की लम्बाई, चौड़ाई व भूमि की उपलब्धता आदि के अनुसार पूर्णता अवधि पृथक-पृथक व सामान्यतः 24 से 30 माह होती है।

जितिन प्रसाद

मंत्री

लोक निर्माण विभाग।